<u>र</u>जिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-17022021-225213 SG-DL-E-17022021-225213

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 2021/ माघ 27, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 328 No. 59] DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16, 2021/MAGHA 27, 1942 [N. C. T. D. No. 328

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (ब्यय-IV) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 फरवरी, 2021

संख्या 38/2020-राज्य कर

सं**0फा0 03(77)/वित्त (न्यय—IV)/2020—21/डीएस—IV/144.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :——

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवाकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2020 है।
 - (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 5 मई, 2020 से लागू होंगे।

969 DG/2021 (1)

2. दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 26 के उपनियम (1) में, 21 अप्रैल 2020 से, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :——

"परंतु और कि किसी भी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रिजस्ट्रीकृत हो, को 21 अप्रैल 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत प्ररूप जीएसटीआर—3ख में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमित है।"।

3. उक्त नियम के नियम 67 के पश्चात, इसे बाद में अधिसूचित किये जाने की तारीख से, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः——

"67क. लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्रबंध—इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में जिससे धारा 39 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर—3ख में किसी कर अविध की 'शून्य' विवरणी भरना अपेक्षित हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणी को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त रिटर्न का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित 'वन टाइम पासवर्ड' की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य' विवरणी का मतलब धारा 39 के अधीन किसी कर अविध से संबंधित कोई ऐसी विवरणी है जिसमें रूप जीएसटीआर—3ख की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रविष्टि ना हो।"।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, मनोज कुमार, उप सचिव–IV (वित्त)

टिप्पण:-मूल नियम सं0फा0 03(10) / वित्त (राजस्व—I) / 2017—18 / डीएस—VI / 342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03 / 2017—राज्य कर, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग—IV में प्रकाशित किये गए और सं0फा0 03(64) / वित्त (राजस्व—I) / 2020—21 / डीएस—IV / 237, तारीख 21 / 12 / 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 30 / 2020—राज्य कर, तारीख 21 / 12 / 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 16th February, 2021

No. 38/2020-State Tax

- **No. F.3** (77)/Fin (Exp-IV)/2020-21/DS-IV/144.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—
 - 1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2020.
 - (2) Save as otherwise provided, they shall come into force with effect from 05th day of May, 2020.
- 2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 21stApril, 2020, in rule 26 in sub-rule (1), after the proviso, following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 21st day of April, 2020 to the 30th day of June, 2020,

also be allowed to furnish the return under section 39 in **FORM GSTR-3B** verified through electronic verification code (EVC).".

3. In the said rules, after rule 67, with effect from a date to be notified later, the following rule shall be inserted, namely: -

"67A. Manner of furnishing of return by short messaging service facility.—Not with standing anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in FORM GSTR-3B for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return through a short messaging service using the registered mobile number and the said return shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

Explanation.—For the purpose of this rule, a Nil return shall mean a return under section 39 for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in **FORM GSTR-3B**.".

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)

Note:—The principal rules were published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* notification dated the 22nd June, 2017, published *vide* No. F.3 (10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and last amended vide Notification No. 30/2020- State Tax, dated the 21st December, 2020, published *vide* No. F.3 (64)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/237, dated the 21st December, 2020.